

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-789) अलेसे-1/1452

दिनांक:- 29/12/25

**आदेश**

श्री सुखवन्त सिंह रामगडिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 5396), कार्यालय-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर ने स्वयं के नाम परिवर्तन की राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री सुखवन्त सिंह रामगडिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 5396), कार्यालय-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर का नाम परिवर्तन कर "सुखवन्त सिंह रामगडिया " के स्थान पर " सुखवन्त सिंह" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-789) अलेसे-1/1452

दिनांक:- 29/12/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर।
2. श्री सुखवन्त सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव